[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 20/2017- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2017

सा.का.नि......(अ)- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 16 की उपधारा (1) के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उपधारा (1), धारा 6 की उपधारा (1) और धारा 20 के खंड (iii) और खंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 8/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 683(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम सं. 3 के समक्ष, कॉलम (3) की मद सं. (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(iii) निर्माण ठेके की संयुक्त आपूर्ति, जैसा कि केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के उपवाक्य (119) में परिभाषित हो, और जो कि सरकार, स्थानीय निकाय या किसी सरकारी प्राधिकरण को निम्नलिखित के निर्माण, संरचना, स्थापना, पूरा करने मरम्मत करने, नवीनीकरण करने या परिवर्तन करने के माध्यम से प्रदान की गई हो, - (क) ऐतिहासिक इमारत, प्रागैतिहासिक स्थल या ऐतिहासिक महत्व के अवशेष या प्रागैतिहासिक उत्खनन या प्राचीन वस्तुएं जो कि प्राचीन स्मारक	12	-

एवं प्रागैतिहासिक स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) में विनिर्दिष्ट हैं; (ख)नहर, बांध और सिचाई की अन्य संरचनाये; (ग) पाइप लाइन, कन्डुइट या प्लांट जो कि *(i)* जल आपूर्ति *(ii)* जल शोधन, या *(iii)* सीवरेज शोधन या निटान के लिए हों।		
(iv) निर्माण ठेके के लिए संयुक्त आपूर्ति जो कि केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के उपवाक्य (119) में यथा विनिर्दिष्ट हो और निम्नलिखित के निर्माण, स्थापना, पूरा करने, मरम्मत करने, देख-रेख करने, नवीनीकृत करने या संशोधित करने के लिए की गई हो, यथा - (क) सड़क, पुल, सुरंग या टर्मिनल जो कि सामान्य जनता के सड़क परिवहन के लिए प्रयोग की जाती हो; (ख)सिविल निर्माण कार्य या अन्य मूल निर्माण कार्य जो कि जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन या राजीव आवास योजना की किसी स्कीम से संबंधित हो; (ग) सिविल निर्माण कार्य या अन्य मूल निर्माण कार्य जो कि सभी के लिए (शहरी) आवास मिशन/ प्रधान मंत्री आवास योजना, के अंतर्गत "निजी भागीदारी के माध्यम से वर्तमान स्लम वासियों की उनकी वर्तमान जमीन का संसाधन के रूप में प्रयोग करके स्वस्थानिक आवास" से संबंधित हो, केवल वर्तमान स्लम वासियों के लिए; (घ) सिविल निर्माण कार्य या अन्य मूल निर्माण कार्य जो कि सब के लिए (शहरी) आवास मिशन/ प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत "लाभान्भोगी उन्मुखी व्यक्तिगत आवास निर्माण/ संवर्धन" से संबंधित हो; (ङ) प्रदूषण नियंत्रण कचरा निपटान संयंत्र, उनको	12	-

छोड़कर जो कि कारखाने के एक हिस्से के रूप में अवस्थित हों; या (च) संरचनाएं जो कि श्मसान या कब्रगाह, शवदाह के लिए हों ।		
(v) निर्माण ठेके के लिए संयुक्त आपूर्ति जो कि केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 की उपधारा (119) में यथा परिभाषित हों और ऐसे निर्माण, स्थापना या मूल निर्माण के माध्यम से की गई हो जो कि निम्नलिखित से संबंधित है,- (क) रेलवे, मोनोरेल और मेट्रो को छोड़कर; (ख)एकल आवासीय इकाई जो कि किसी आवासीय परिषद के हिस्से से पृथक हो; (ग) कम लागत वाले मकान जिनका कारपेट एरिया प्रति मकान 60 वर्गमीटर तक हो और ऐसी आवासीय परियोजना में हो जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाई गई "स्कीम ऑफ अफोर्डेबल हाऊसिंग इन पार्टनरशिप" के अंतर्गत अनुमोदित हो; (घ) कम लागत वाले मकान जिनका कारपेट एरिया प्रति मकान 60 वर्गमीटर तक हो और जो ऐसी आवासीय परियोजना में हो जिनको कि सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित के अंतर्गत अनुमोदित किया हो- (1) सब के लिए (शहरी) मकान मिशन/ प्रधानमंत्री आवास योजना के 'अफोर्डेबल हाऊसिंग इन पार्टनरशिप' घटक; (2) राज्य सरकार की कोई आवासीय योजना; (ङ) कृषि उत्पादों के फसलोपरान्त भण्डारण की संरचनाएं जिसमें इस उद्देश्य से सम्बंधित कोल्ड स्टोरेज भी	12	-

आता है; या (च) मैक्नाइज्ड फूड ग्रेन हैण्डलिंग सिस्टम, मशीनरी या उपकरण जो कि उन इकाईयों के लिए हो जहां कि कृषि उत्पादों का खाद्य पदार्थ के रूप में प्रसंस्करण होता है, अल्कोहल युक्त पेय को छोड़कर।		
(vi) उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv) और (v) से भिन्न निर्माण सेवाएं।	18	-";

(ii) क्रम सं. 8 के समक्ष, कॉलम (3) के मद (vi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

(3)	(4)	(5)
"(vi) जहां ईंधन की लागत सेवा प्राप्तिकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित की जाती है, वहां मोटर कैब द्वारा यात्रियों का परिवहन ।	5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है । (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
	या	
	12	-";

(iii) क्रम सं. 9 के समक्ष, कॉलम (3) के मद (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

(3)	(4)	(5)
"(iii) माल (जिसके अंतर्गत वैयक्तिक उपयोग के लिए उपयोग किया गया घरेलू माल भी है) के परिवहन के संबंध में परिवहन अभिकरण की सेवाएं ।	5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर

स्पष्टीकरण : "माल परिवहन अभिकरण" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो सड़क से माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है और प्रेषण नोट, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जारी करता है ।		प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है । (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
	या	
	12	बशर्ते कि ऐसे माल परिवहन अभिकरण जो कि इस प्रविष्टि के अंतर्गत 12 प्रतिशत की दर से एकीकृत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनती है, उसे तद्योपरांत अपने द्वारा माल परिवहन अभिकरण की आपूर्ति की जाने वाली सभी सेवाओं पर 12 प्रतिशत की दर से एकीकृत कर का भुगतान करना पड़ेगा।";

(iv) क्रम सं. 10 के समक्ष कॉलम (3) के मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

(3)	(4)	(5)
"(i) जहां ईंधन की लागत सेवा प्राप्तिकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित की जाती है वहां मोटर कैब को किराए पर देना ।	5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर

		प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है । (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
	या	
	12	-";

(v) क्रम सं. 11 के समक्ष कॉलम (3) के मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

(3)	(4)	(5)
"(i) मालों के परिवहन के संबंध में माल परिवहन अधिकरण (जीटीए) की सेवाएं (जिसके अंतर्गत घर गृहस्थी का उपयोग किया गया माल है । स्पष्टीकरण- "माल परिवहन अधिकरण" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो सड़क से माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है और प्रेषण नोट, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जारी करता है ।	5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है । (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
	या	
	12	बशर्ते कि ऐसे माल परिवहन अभिकरण जो कि इस प्रविष्टि के अंतर्गत 12 प्रतिशत की दर से एकीकृत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनती है, उसे तद्वोपरांत अपने द्वारा माल परिवहन

		अभिकरण की आपूर्ति की जाने वाली सभी सेवाओं पर 12 प्रतिशत की दर से एकीकृत कर का भुगतान करना पड़ेगा।";

(vi) क्रम सं. 26 के समक्ष,-

(क) कॉलम (3) में मद (i) के समक्ष,-

(क) उप-मद (ख), के स्थान पर निम्नलिखित उप-मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(ख) वस्त्र एवं वस्त्र उत्पाद जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 50 से 63 के अंतर्गत आते हैं;";

(ख)स्पष्टीकरण को निरसित कर दिया जाएगा;

(ख) कॉलम (3) में मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

(3)	(4)	(5)
"(ii) अन्य व्यक्तियों के माल पर किया गया कोई उपचार या की गयी प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान की गई सेवाएं जो कि निम्नलिखित से संबंधित है - (क) समाचार पत्रों का मुद्रण; (ख) पुस्तकों (जिसके अंतर्गत ब्रेल पुस्तकें हैं), पत्रों और आवधिक पत्रों का मुद्रण ।	5	-
(iii) पूर्वोक्त (i) और (ii) से भिन्न अन्य के स्वामित्व में भौतिक इनपुट (माल) पर विनिर्माण सेवाएं ।	18	-";

(vii) क्रम सं. 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

(1)	**(2)**	(3)	(4)	(5)
"27	**शीर्ष 9989**	(i) समाचार पत्र, पुस्तकें (जिसमें ब्रेल पुस्तकें भी शामिल हैं) पत्रों और आवधिक पत्रों के मुद्रण के माध्यम से दी जाने वाली सेवा, जहां कि प्रकाशक द्वारा केवल विषयवस्तु प्रदान की जाती है और जिसमें कागज़ समेत प्रिंटिंग के लिए प्रयोग होने वाले भौतिक इनपुट प्रिंटर के होते है ।	12	-
		(ii) उपर्युक्त (i) से भिन्न अन्य विनिर्माणकारी सेवाएं; प्रकाशन, मुद्रण और पुनः उत्पादन सेवाएं; सामग्री वसूली सेवाएं।	18	-";

(viii) क्रम सं. 34 के समक्ष कॉलम (3) में, मद (i) में शब्द "ड्रामा है" के पश्चात "या प्लेनेटेरियम" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 354/173/2017 -टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:-प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 8/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, सा.का.नि. 683 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था।